न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी ,चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी – चावण्डदान चारण (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्याः टी.ए. 80/2015
पंजीयन दिनांकः 10.12.2015

रोशनलाल पिता केसरीमल जाति महाजन बोहरा निवासी पहूँना तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़

–अपीलान्ट

बनाम

जाकिर पिता अहमद जाति मुसलमान निवासी पहूँना तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़

–रेस्पोडन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व निर्णय एवं आदेश न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, राशमी प्रकरण 09/2013 रेवेन्यू प्रार्थना पत्र निर्णय एवं आदेश दिनांक 11.07.2015

उपस्थित वक्त बहसः 1. कृष्णगोपाल व्यास – अधिवक्ता अपीलान्ट
2. भेरूलाल वैष्णव – रेस्पोडेन्ट

निर्णय **दिनांक 13.04.2022**

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य यह है कि रेस्पोडेन्ट प्रार्थी ने अधीनस्थ विचारण न्यायालय मे प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत अपीलान्ट विपक्षी के विरूद्व इस आशय का प्रस्तुत किया कि मौजा पहूँना पटवार हल्का पहूँना तहसील राशमी के बरून हल्का आबादी मे रेस्पोडेन्ट प्रार्थी के खातेदारी की आराजी नम्बर 1794/2 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा व आराजी नम्बर 1788/2 रकबा 8 बिस्वा स्थित है। अपीलान्ट विपक्षी के खातेदारी की आराजी नम्बर 1775 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा है। प्रार्थी रेस्पोडेन्ट की भूमि पर जाने आने हेतु सरकारी रास्ता आराजी नम्बर 149 डामरीकृत सडक से होता हुआ अपीलान्ट विपक्षी की आराजी नम्बर 1775 की पूर्वी मेड पर होता हुआ आराजी नम्बर 1786 किस्म रास्ते पर प्रवेश कर रेस्पोडेन्ट प्रार्थी अपनी आराजीयात मे आता जाता है। तथा रेस्पोडेन्ट प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र मे अनुतोष चाहा कि विपक्षी अपीलान्ट की आराजी नम्बर 1775 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा के पूर्वी मेड पर मौजुद है। मार्ग 15 फीट चौडे व 330 फीट लम्बे मार्ग को कायम रखते हुए को राजस्व रेकार्ड मे अंकित कराया जावे। अधीनस्थ विचारण न्यायालय मे उक्त प्रकरण मे दिनांक 02.03.2015 की आदेशिका मे प्रकरण की सुनवाई

आगामी पेशी 15.06.2015 नियत की गई। व बिना सूचना दिये उक्त प्रकरण को दिनांक 04.0..2015 को नियत कर आगामी तारीख पेशी 14.03.2015 को लोक अदालत मे नियत की व उसके पश्चात् 15.06.2015 को पत्रावली नियत कर आगामी पेशी दिनांक 11.07.2015 मे एक तरफा मे बिना कोई सूचना दिये पत्रावली को लोक अदालत मे प्रकरण का निस्तारण बिना साक्ष्य सबुत लिये बिना जवाब दावा प्रस्तुत कराये अपीलान्ट विपक्षी की अनुपस्थिति मे राजीनामे के आधार पर निर्णित कर दी।

अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व आदेश दिनांक 11.07.2015 से असंतुष्ट होकर अपीलान्ट विपक्षी ने इस न्यायालय मे अपील प्रस्तुत की गई व अपील म्याद बाहर होने से अपीलान्ट प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र धारा 5 कानून म्याद अधिनियम मय शपथ पत्र प्रस्तुत की गई।

अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व आदेश के विरूद्ध अपीलान्ट विपक्षी की ओर से इस न्यायालय मे अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर शामिल पत्रावली की गई। पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट प्रार्थी ने अपील विलम्ब से प्रस्तुत की गई जिससे म्याद को क्षम्य किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून म्याद अधिनियम प्रस्तुत किया गया। जिसमे वर्णित तथ्य विश्वसनीय होने से अपीलान्ट प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून म्याद अधिनियम मय शपथ पत्र स्वीकार किया जाकर अपीलान्ट प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर म्याद ली जाती है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपनी बहस मे अपील मे वर्णित तथ्यो को पुनः दोहराते हुए बहस मे निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट प्रार्थी की आराजीयात कृषि भूमि नही होकर व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा है। मात्र राजस्व रेकार्ड मे कृषि भूमि के रूप मे दर्ज होने से रेस्पोडेन्ट प्रार्थी ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए का सहारा लिया गया है। उक्त आराजीयात पर आने–जाने का अन्य वैकल्पिक रास्ता होते हुए रेस्पोडेन्ट प्रार्थी ने अपीलान्ट विपक्षी की आराजी नम्बर 1775 की पूर्वी मेड पर रास्ता मांगा गया है। व अपीलान्ट विपक्षी को बिना सुने लोक अदालत मे बिना किसी राजीनामे के अधीनस्थ विचारण न्यायालय मे रेस्पोडेन्ट प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ विचारण न्यायालय का निर्णय बिना किसी राजीनामे के लोक अदालत के तहत पारित किया गया है। जिससे अपीलान्ट विपक्षी की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट प्रार्थी ने अपनी बहस मे अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व आदेश को विधिपूर्ण व न्यायोचित होना बताया। व यह निवेदन किया है कि अधीनस्थ विचारण न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट प्रार्थी का प्रार्थना पत्र रास्ते से सम्बन्धित होकर अन्यान्तिक आवश्यक प्रकृति का था जिसमे अधीनस्थ विचारण न्यायालय ने संक्षिप्त कार्यवाही करते हुए रास्ता दिलाये जाने का आदेश पारित किया गया है। जो न्यायोचित है। अपीलान्ट विपक्षी की ओर से गलत तथ्यो के आधार पर अपील प्रस्तुत की गई है जो निरस्त फरमाई जावे।

हमने उभयपक्षकारान के अधिवक्तओ की विधिपूर्ण बहस पर मनन किया। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय की पत्रावली का गहनता से विधिपूर्ण अवलोकन किया। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से प्रतीत होता है कि रेस्पोडेन्ट प्रार्थी ने अपनी आराजीयात पर आने–जाने के लिये अपीलान्ट विपक्षी के खातेदारी की आराजी नम्बर 1775 रकबा 2 बीधा 15 बिस्वा के पूर्वी मेड पर रास्ता चाहने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर दिनांक 15.05.2013 को तहसीलदार राशमी की ओर से रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। जिसमे उक्त आराजीयात अपीलान्ट विपक्षी के खातेदारी मे दर्ज होना अंकित किया गया। अधीनस्थ विचारण न्यायालय मे प्रस्तुत जमाबन्दी मे भी उक्त आराजी अपीलान्ट विपक्षी के खातेदारी मे दर्ज रेकार्ड है। पटवारी हल्का पहूँना ने अपील रिपोर्ट मे अंकन किया कि खातेदार को अपनी भूमि मे होकर रास्ते की आवश्यकता अतिरिक्त सुविधा कें लिये है जिससे यह प्रतीत होता है कि आने–जाने का रास्ता पूर्व से ही उपलब्ध है जिसकी विस्तृत जांच की जाना अपेक्षित है। फिर भी अधीनस्थ विचारण न्यायालय ने अपीलान्ट विपक्षी को बिना सूने अपीलान्ट विपक्षी की आराजी नम्बर 1775 की पूर्वी मेड पर रास्ता कायम किये जाने का निर्णय व आदेश बिना राजीनामे के बिना विपक्षी को सुने बिना लोक अदालत के तहत बिना लिखित राजीनामे पारित किया गया है। जिससे अपीलान्ट विपक्षी अधीनस्थ न्यायालय मे न्याय से भी वंचित रहा है। यदि अपीलान्ट विपक्षी को सुनवाई का समुचित अवसर अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा दिया जाता तो अपीलान्ट सभी तथ्य अधीनस्थ विचारण न्यायालय मे प्रस्तुत करता व उक्त सभी तथ्यो का अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा निस्तारण किया जाकर न्यायोचित निर्णय पारित किया जा सकता था। विवादित आराजीयात की जमाबन्दी मे बैंक रहन का दाखला अंकित है। प्रार्थी रेस्पोडेन्ट ने सम्बन्धित बैक को पक्षकार कायम नही किया है। जिससे भी अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व आदेश न्यायोचित नही है जिससे अपीलान्ट विपक्षी की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार योग्य है।

फलस्वरूप अपील अपीलान्ट विपक्षी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्ववान विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, राशमी प्रकरण संख्या 09/2013 प्रार्थना पत्र निर्णय व आदेश दिनांक 11.07.2015 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ विद्ववान विचारण न्यायालय को उभयपक्षो को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए उभयपक्ष की उपस्थिति मे मौका रिपोर्ट ली जाकर उभयपक्ष की सुनवाई की जाकर नव निर्णय पारित किये जाने हेतु अधीनस्थ विद्ववान विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 13.04.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। निर्णय की सत्य प्रति के साथ अधीनस्थ विद्ववान विचारण न्यायालय की पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब लोटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(चावण्डदान चारण)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़